भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 463
उत्तर देने की तारीख 24 जुलाई, 2023
सोमवार, 2 श्रावण, 1945 (शक)

महिला उद्यमिता

463. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल: **डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:**
डॉ. सुजय राधाकृषण विखे पाटील: **प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:**
डॉ. कृष्णपालसिंह यादव: **डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:**

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में महिला उद्यमियों की संख्या में वृद्धि से संबंधित आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश भर में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है;

(ग) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री
(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या से संबंधित आंकड़े **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(ख), (ग) और (घ):

I. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों सहित देश भर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। एमएसडीई द्वारा की गई विभिन्न पहलों का विवरण इस प्रकार है:

i. **महिलाओं द्वारा महिला उद्यमियों और स्टार्ट-अप के आर्थिक सशक्तिकरण (डब्ल्यूईई)** परियोजना को जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय (बीएमजेड) की ओर से 'डॉयचे गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल ज़ुसामेनरबीट' (जीआईजेड) द्वारा भागीदारी में समर्थित किया गया था। एमएसडीई भारत में महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे उद्यमों के लिए ढांचागत स्थितियों में सुधार करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य महिला सूक्ष्म उद्यमियों के लिए इंक्यूबेशन और त्वरण कार्यक्रमों का संचालन करना है, जिससे उन्हें महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और देश के आठ उत्तर-पूर्वी राज्यों में नए व्यवसाय शुरू करने और मौजूदा उद्यमों को बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके। 'हर एंड नाउ' शीर्षक के अंतर्गत, डब्ल्यूईई परियोजना ने सफल महिला उद्यमियों की कहानियों को साझा करने और समाज में महिलाओं की भूमिका और मानदंडों पर सकारात्मक मानसिकता परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एक फिल्म और मीडिया अभियान चलाया था। अब तक, 908 से अधिक महिला उद्यमियों को इनक्यूबेशन और त्वरण समर्थन प्राप्त कार्यक्रमों के अंतर्गत परियोजना के तहत समर्थन दिया गया है। वर्ष 2018 से इंक्यूबेशन और त्वरण समर्थन कार्यक्रमों के अंतर्गत परियोजना के तहत समर्थित महिला उद्यमियों की राज्य-वार/क्षेत्र-वार संख्या इस प्रकार है:

क्षेत्र	भागीदार	समर्थित महिला उद्यमियों की संख्या
उत्तर-पूर्व - 8 राज्य	धृति- द करेज विदिन	**233**
राजस्थान - 9 जिले	स्टार्टअप ओएसिस	**105**
तेलंगाना - 26 जिले	वी हब	**109**
महाराष्ट्र - 3 जिले	मान देशी फाउंडेशन	**120**
उत्तर प्रदेश - 4 जिले	एम्पावर फाउंडेशन	**341**
योग		**908**

ii. छह पवित्र शहरों में उद्यमशीलता विकास का लक्ष्य संभावित और मौजूदा उद्यमियों, बेरोजगार युवाओं, कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों, पिछड़े वर्ग के युवाओं आदि की भागीदारी के माध्यम से स्थानीय उद्यमशीलता कार्यकलापों को संवर्धित करना है। यह परियोजना बोधगया, कोल्लूर, हरिद्वार, पुरी, पंढरपुर और वाराणसी में लागू की गई थी। इस परियोजना के तहत प्रशिक्षित महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या 7,881 है। परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षित महिला प्रतिभागियों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	जिले आर राज्य	प्रशिक्षित महिला प्रतिभागियों की संख्या
1.	बोधगया, बिहार	603
2.	कोल्लूर, कर्नाटक	271
3.	पंढरपुर, महाराष्ट्र	3,606
4.	पुरी, ओडिशा	1,288
5.	हरिद्वार, उत्तराखंड	1,333
6.	वाराणसी, उत्तर प्रदेश	780
	योग	**7,881**

II. इसके अलावा, देश में इस संबंध में अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई विभिन्न पहलों का विवरण इस प्रकार है:

(i) स्टार्टअप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम (एसवीईपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत उप-स्कीम का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उनके परिवार के सदस्यों को गैर-कृषि क्षेत्र में छोटे उद्यम स्थापित करने में सहायता करना है। एसवीईपी परियोजनाएं ब्लॉकों में कार्यान्वित की जाती हैं और परियोजना की अवधि चार वर्ष है। एसवीईपी एसएचजी परिवारों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम विकास के लिए एक इकोसिस्टम विकसित करता है, जिसमें सामुदायिक उद्यम निधि (सीईएफ) (उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए एक समर्पित निधि) और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों-उद्यम संवर्धन (सीआरपी-ईपी) का संवर्ग (व्यावसायिक सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए) शामिल है। एसवीईपी के अंतर्गत, एक ब्लॉक के लिए परियोजना लागत 6.50 करोड़ रुपए (भारत सरकार और राज्य का हिस्सा शामिल) है, जिसमें से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) और पहाड़ी राज्यों के लिए भारत सरकार की भागीदारी 90% है जबकि शेष राज्यों के लिए यह 60% है। एसवीईपी के अंतर्गत, दिनांक 30.06.2023 तक, पूरे देश में कुल 2.39 लाख उद्यमों को समर्थन दिया गया है। समर्थित उद्यमों की राज्य-वार संख्या का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ii) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय की एक स्कीम है, जो एक प्रमुख क्रेडिट-सम्बद्ध सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर सृजन करके पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की मदद करना है। यह स्कीम वर्ष 2008-09 के दौरान शुरू

की गई थी। पीएमईजीपी के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% सीमांत राशि सहायिकी का लाभ उठा सकते हैं। विशेष श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिलाएं, ट्रांसजेंडर, पूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से दिव्यांग, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनईआर), आकांक्षी जिले, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि से संबंधित लाभार्थियों के लिए सीमांत राशि सहायिकी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। महिलाओं को पीएमईजीपी के अंतर्गत विशेष श्रेणी के रूप में कवर किया गया है और वे सहायिकी की उच्च दर और निम्न व्यक्तिगत अभिदान की हकदार हैं। पीएमईजीपी के तहत कुल सीमांत राशि सहायिकी का 35% से 40% महिलाओं को वितरित किया जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त महिला स्वामित्व वाली इकाइयों और जारी सीमांत राशि की राज्य-वार संख्या इस प्रकार है:

राज्य	**इकाई की संख्या**
केरल	24
आंध्र प्रदेश	28
तमिलनाडु	7
ओडिशा	3
महाराष्ट्र	2
गुजरात	1
गोवा	1
तेलंगाना	1
पश्चिम बंगाल	6
बिहार	1
योग	**74**

एमएसएमई महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई सहित एमएसएमई के प्रचार और विकास के लिए कई अन्य स्कीमें जैसे सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), टूल रूम और प्रौद्योगिकी केंद्र, पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जनन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति), खरीद और विपणन सहायता स्कीम, उद्यमशीलता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी और प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम (सीएलसीएस-टीयूएस) आदि, भी कार्यान्वित करता है।

(iii) कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) 2018-19 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत "नवाचार और कृषि-उद्यमशीलता विकास" कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके और देश में इंक्यूबेशन इकोसिस्टम को मजबूत करके नवाचार और कृषि उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। डीए एंड एफडब्ल्यू ने इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए देश भर से पांच नॉलेज पार्टनर्स (केपी) और चौबीस आरकेवीवाई एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर्स (आर-एबीआई) नियुक्त किए हैं। स्टार्टअप्स को अपने उत्पादों, सेवाओं, व्यावसायिक प्लेटफार्मों आदि को बाजार में शुरू करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और उन्हें व्यावसायिक व्यवहार्यता प्राप्त करने के लिए अपने उत्पादों और संचालन को बढ़ाने की सुविधा प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत नियुक्त आरकेवीवाई एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर (आर-एबीआई) केंद्र में स्टार्ट-अप को प्रशिक्षित और इनक्यूबेट किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत पात्र और चयनित स्टार्ट-अप को अनुदान सहायता के रूप में विचार/पूर्व प्रारम्भिक चरण में 5.00 लाख रुपए तक और प्रारम्भिक चरण में 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब तक, देश में इस कार्यक्रम के तहत कुल 1,176 कृषि-स्टार्ट-अप को 75.25 करोड़ रुपए की तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ प्रशिक्षित और समर्थित किया गया है। इनमें से 284 महिला-नीत महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्ट-अप हैं जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

अनुबंध-I

पिछले 3 वर्षों के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (18.07.2023 तक)
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	461	738	991	253
2.	आंध्र प्रदेश	12,837	34,690	70,935	26,846
3.	अरुणाचल प्रदेश	160	690	1,459	336
4.	असम	2,911	20,446	37,561	11,746
5.	बिहार	14,514	38,539	53,522	14,676
6.	चंडीगढ़	824	1,525	1,925	801
7.	छत्तीसगढ	4,188	9,656	18,173	5,859
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	453	700	930	308
9.	दिल्ली	13,456	21,881	31,643	10,044
10.	गोवा	1,128	1,865	3,767	1,143
11.	गुजरात	37,519	54,745	78,716	27,887
12.	हरियाणा	12,586	24,577	41,963	17,236
13.	हिमाचल प्रदेश	1,891	4,597	8,805	2,597
14.	जम्मू और कश्मीर	3,008	13,351	24,401	10,854
15.	झारखंड	5,806	14,086	33,858	7,468
16.	कर्नाटक	29,784	57,588	96,326	27,989
17.	केरल	14,732	25,249	50,275	12,912
18.	लद्दाख	81	354	513	354
19.	लक्षद्वीप	5	20	58	9
20.	मध्य प्रदेश	14,334	30,289	53,111	15,988
21.	महाराष्ट्र	1,23,361	1,91,510	2,65,217	77,271
22.	मणिपुर	4,037	5,183	9,887	1,146
23.	मेघालय	196	642	2,308	911
24.	मिजोरम	421	1,516	4,176	1,195
25.	नगालैंड	194	1,108	3,047	1,114
26.	ओडिशा	7,852	20,749	38,288	11,738
27.	पुदुचेरी	1,051	2,295	3,466	1,117
28.	पंजाब	13,579	28,634	58,035	28,275
29.	राजस्थान	29,503	46,273	69,265	24,161
30.	सिक्किम	87	600	1,032	390
31.	तमिलनाडु	70,511	1,27,327	2,01,688	64,460
32.	तेलंगाना	23,220	35,454	56,124	21,142
33.	त्रिपुरा	227	798	4,075	2,412
34.	उत्तर प्रदेश	30,610	58,576	1,01,046	66,124
35.	उत्तराखंड	4,140	8,539	14,092	4,477
36.	पश्चिम बंगाल	9,418	25,617	47,325	16,790
	योग	**4,89,085**	**9,10,407**	**14,88,003**	**5,18,029**

अनुबंध-II

एसवीईपी के तहत समर्थित उद्यमों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	समर्थित उद्यमों की संख्या (जून, 2023 तक)
1	आंध्र प्रदेश	17,495
2	अरुणाचल प्रदेश	-
3	असम	3,676
4	बिहार	22,430
5	छत्तीसगढ	16,565
6	गोवा	21
7	गुजरात	5,939
8	हरियाणा	9,170
9	हिमाचल प्रदेश	248
10	जम्मू एवं कश्मीर	2,763
11	झारखंड	19,539
12	कर्नाटक	297
13	केरल	27,391
14	मध्य प्रदेश	24,328
15	महाराष्ट्र	4,831
16	मणिपुर	1,356
17	मेघालय	903
18	मिजोरम	1,150
19	नगालैंड	4,089
20	ओडिशा	13,040
21	पंजाब	2,036
22	राजस्थान	8,891
23	सिक्किम	49
24	तमिलनाडु	4,269
25	तेलंगाना	13,125
26	त्रिपुरा	161
27	उत्तर प्रदेश	20,372
28	उत्तराखंड	2,198
29	पश्चिम बंगाल	12,729
सकल योग		**2,39,061**

****